उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5
संख्याः 786 XX(5)/25/03(10)2024-70461
देहरादून, दिनांक 06 जून 2025

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता पोर्टल पर नागरिकों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लायी जाने वाली सेवा–विशेषतः विवाह पंजीकरण एवं अभिस्वीकृति के आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु जनपदवार वी0एल0ई0 प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने से संबंधित गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 782/XX(5)/25-03(10)2024-70039, दिनांक 05 जून 2025 के साथ संलग्न योजना के प्रस्तर संख्याः 05 की अंतिम पंक्ति में अंकित दो माह हेतुः 02×19,50,000 = ₹39,50,000 को संशोधनोपरान्त् दो माह हेतुः 02×19,50,000 = ₹39,00,000 किया जाता है।

2– उक्त संशोधन के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्याः 782/XX(5)/25-03(10)2024-70039, दिनांक 05 जून 2025 के शेष उपबन्ध/प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

Digitally signed by
Gajendra Singh Kaphalia
Date: 06-06-2025
17:36:29

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 786 XX(5)/25/03(10)2024-70461 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संलग्न प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार सी0एस0सी0, उत्तराखण्ड की टीम से समन्वय स्थापित करते हुए प्रोत्साहन योजना संचालित कराये जाने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी विकास एजेंसी, उत्तराखण्ड।
5. स्टेट हैड, सी0एस0सी0एस0पी0वी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
संयुक्त सचिव।

File No. 03(10)2024 (Computer No. 70039)
Generated from eOffice by PRAKASH RATURI, HOMES_RO_PR, REVIEW OFFICER, Home Department on 06/06/2025 06:01 PM

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–5

संख्याः 782 XX(5)/25-03(10)2024-70039

देहरादून, दिनांक 05 जून 2025

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता पोर्टल पर नागरिकों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लायी जाने वाली सेवा विशेषतः विवाह पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के लिए **यू0सी0सी0 पंजीकरण हेतु जनपदवार प्रोत्साहन योजना** लागू की जाती है। उक्त प्रोत्साहन योजना संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रथम चक्र में **दिनांक 10 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक** तथा द्वितीय चक्र में **दिनांक 11 जुलाई, 2025 से 10 अगस्त 2025 तक** संचालित की जायेगी। प्रत्येक चक्र के अन्त में योजना में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक जनपद से शीर्ष 05 ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) को पुरस्कृत किया जायेगा।

2– उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य सी0एस0सी0 टीम एवं आई0टी0डी0ए0 द्वारा जनपदों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

Digitally signed by Shailesh Bagauli
Date: 05-06-2025 16:32:08

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः 782/XX(5)/25-03(10)2024-70039 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त विभाग/महानिबन्धक, यू0सी0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संलग्न प्रस्तावित योजनानुसार सी0एस0सी0, उत्तराखण्ड की टीम से समन्वय स्थापित करते हुए प्रोत्साहन योजना संचालित कराये जाने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी विकास एजेंसी, उत्तराखण्ड।
5. स्टेट हैड, सी0एस0सी0एस0पी0वी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

संलग्नकःयथोपरि।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

यू0सी0सी0 पंजीकरण हेतु जनपदवार प्रोत्साहन योजना

1. **परिचय एवं औचित्यः**

नागरिकों द्वारा सर्वाधिक मांग वाली सेवा–विशेषतः विवाह पंजीकरण एवं अभिस्वीकृति फॉर्म–के आवेदन तेज़ी से निस्तारित करने हेतु, ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के लिए प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित हैं। इस पहल का उद्देश्यः

- आवेदनों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करना।
- उच्च प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के साथ व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- अधिकतम अस्वीकृति दर और नियमों का पालन सुनिश्चित कर सेवा गुणवत्ता बनाए रखना।

2. **डेटा मूल्यांकन एवं लक्ष्य निर्धारणः**

जिलावार प्रदर्शन सीमाएँ निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित पद्धति अपनाई है:

- अधिकतम संभावित आवेदनों का अनुमान।
- विवाह पंजीकरण एवं अभिस्वीकृति सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सेवा अपेक्षित है।
- पूर्व के आंकड़ों के आधार पर सक्रिय VLEs द्वारा दैनिक संसाधित किए जा सकने वाले संभावित आवेदनों का अनुमान लगाया गया।
- लंबित आवेदनों की मात्रा का विश्लेषण।
- जिलों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कर व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित किए गए।
- शीर्ष VLEs की दैनिक कार्यक्षमता का अवलोकन
- प्रत्येक जिले के तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले VLEs के दैनिक उत्पादकता का डेटा एकत्र किया गया।
- सक्रिय VLEs का निर्धारण
- कुल पंजीकृत VLEs में से सक्रिय VLEs की संख्या का पता लगाया गया।
- इससे सामान्य भागीदारी स्तर का अनुमान प्राप्त हुआ।

इन आधारों पर, प्रत्येक ज़िले हेतु न्यूनतम सीमा "T" निर्धारित की गई, जो आवेदनों के बैकलॉग को कम करने हेतु प्रत्येक VLE के लिए आवश्यक आधार लक्ष्य है। इससे ऊपर के लक्ष्य एवं प्रोत्साहन श्रेणियाँ इसी आधार पर बनाई गई हैं।

3. **प्रस्तावित प्रोत्साहन संरचनाः**

- यह प्रोत्साहन योजना मासिक आधार पर संचालित की जाएगी, जिसमें आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को गणना हेतु मान्य माना जाएगा। अर्थात्, जिस माह में आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया गया है, उसी माह की गणना में उसे शामिल किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना प्रारंभिक रूप से दो माह हेतु लागू की जा रही है। इसके पश्चात् आवेदन की प्रवृत्ति, सेवा मांग एवं विभागीय समीक्षा के आधार पर योजना को आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।
- प्रत्येक जिले के लिए न्यूनतम सफल आवेदन संख्या (T) निर्धारित की गई है। केवल वही वी0एल0ई0 पात्र होंगे जिन्होंने मासिक आधार पर कम–से–कम "T" आवेदन सफलतापूर्वक भरे हों।

जिला	न्यूनतम सफल आवेदन संख्या (T)
अल्मोड़ा	135
बागेश्वर	135
चमोली	130
चम्पावत	150
देहरादून	185
हरिद्वार	185
नैनीताल	135
पौड़ी गढ़वाल	160
पिथौरागढ़	170
रुद्रप्रयाग	130
टिहरी गढ़वाल	200
उधम सिंह नगर	160
उत्तरकाशी	110

4. **पात्रता एवं गुणवत्ता मानदंड:**

केवल गुणवत्तापूर्ण आवेदन पुरस्कृत हों एवं सेवा स्तर बरकरार रहे, इसके लिए प्रत्येक श्रेणी पुरस्कार हेतु न्यूनतम मानदंड:

- केवल वे वी0एल0ई0 जिन्होंने "T" या उससे अधिक आवेदन सफलतापूर्वक भरे हैं, पात्र माने जाएंगे।
- अधिकतम अस्वीकृति दर – आवेदन की अस्वीकृति दर 05 प्रतिशत या उससे न्यून होनी चाहिए।
- शिकायत/ब्लैकलिस्टिंग रिकॉर्ड न होना – VLE के विरुद्ध CSC SPV में कोई शिकायत दर्ज न हो एवं ब्लैकलिस्ट/ब्लॉकिंग का इतिहास न हो।
- यदि एक से अधिक पात्र वी0एल0ई0 द्वारा समान संख्या में सफल आवेदन किये जाते है तो उस परिस्थिति में ऐसे वी0एल0ई0 को वरीयता दी जाएगी जिसकी पिछले माह में सफल आवेदनों की संख्या अधिक रही हो।
- यदि फिर भी समानता बनी रहती है, तो पुरस्कार राशि को समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

5. **वित्तीय प्रावधान:**

प्रत्येक जिले में पात्र वीएलई में से शीर्ष 05 प्रदर्शनकर्ताओं को उनकी सफलता के आधार पर निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:

स्थान	पुरस्कार राशि
प्रथम	₹50,000
द्वितीय	₹40,000
तृतीय	₹30,000
चतुर्थ	₹20,000
पंचम	₹10,000

- इस प्रकार, प्रति जिला कुल व्यय = ₹1,50,000
- 13 जिलों हेतु कुल अधिकतम व्यय (यदि प्रत्येक जिला पाँच अलग–अलग विजेता देता है): 13×150,000 = ₹19,50,000 **per month.**
- दो माह हेतु: 02×19,50,000 = **₹39,50,000**

6. **परिणाम तैयार करना एवं प्रतियोगिता अवधि:**

- डेटा निगरानी एवं सत्यापन – राज्य CSC टीम एवं ITDA की UCC टीम द्वारा जिलावार सभी आवेदन मॉनिटर एवं सत्यापित किए जाएंगे। केवल सफल (स्वीकृत) आवेदनों को अंतिम गणना में शामिल किया जाएगा।
- प्रमाणन एवं रिपोर्टिंग – प्रतियोगिता अवधि पूर्ण होने पर, राज्य CSC एवं ITDA टीम विभाग को प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जिलावार VLE प्रदर्शन (सफल आवेदनो की संख्या) अंकित होगा।
- VLE का जिला – पुरस्कार देने हेतु VLE का जिला संबद्धता (जहाँ वे पंजीकृत हैं या कार्यरत हैं) माना जाएगा।
- प्रतियोगिता अवधि – प्रतियोगिता 10 जून 2025 से प्रारंभ होकर 10 अगस्त 2025 तक (प्रथम चक्र में दिनांक 10 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक तथा द्वितीय चक्र में दिनांक 11 जुलाई, 2025 से 10 अगस्त 2025 तक) चलेगी। केवल इसी अवधि में प्रस्तुत सफल आवेदन गणना हेतु मान्य होंगे।